UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata – 700001
Phone: 033 22481054, Fax: 033 22485852
Mail: co.sec@unitedbank.co.in

Board Sec/EGM/128/2016

August 12, 2016

Corporate Relations Cell	**Listing Department**
BSE Ltd. P. J. Tower, Dalal Street, Fort Mumbai – 400001.	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot – C/1, Block – G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051
Scrip Code: UNITEDBNK (533171)	Scrip Code: UNITEDBNK

Dear Sir,

Sub: Extraordinary General Meeting

The Exchange is hereby informed that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank has been convened on Wednesday, September 7th, 2016 at 10.00 A.M. in Kolkata in connection with Preferential Allotment shares in terms of Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations 2009 to President of India acting on behalf of the Government of India of up to 26,74,87,910 equity shares of Rs.10/- each at Rs.22.73 per share determined under Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations 2009 aggregating up to Rs.608cr.

The Notice of the Extraordinary General Meeting is enclosed.

Thanking you,

Bikramjit Bhom

Bikramjit Bhom
Company Secretary & Compliance Officer

Encl. A/a.

असाधारण आम बैठक के लिए सूचना

Notice for Extraordinary General Meeting

बुधवार, 7 सितम्बर, 2016 पूर्वाह्न 10.00 बजे
Wednesday, 7th September, 2016 at 10.00 A.M.

सभा स्थल :
सत्यजीत राय सभागार, रवीन्द्र नाथ टैगोर सेन्टर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेसन्स, 9ए, हो ची मिन्ह सरणी, कोलकाता - 700071

Venue :
Satyajit Roy Auditorium, Rabindra Nath Tagore Centre, Indian Council for Cultural Relations, 9A, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata - 700071

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
UNITED BANK OF INDIA

प्रधान कार्यालय / Head Office :

शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
Share Department & Investor's Grievances Cell :
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता –700001
11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001

वेबसाइट / Website | **www.unitedbankofindia.com**

सामग्री

पृष्ठ संख्या

नोटिस 1

टिप्पण 2

व्याख्यात्मक विवरण 4

CONTENTS

Page No.

Notice 7

Notes 8

Explanatory Statement 11

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) अधिनियम, 2010 के विनियम 49 के अनुसरण में, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक बुधवार, 07 सितम्बर, 2016 को पूर्वाह्न 10.00 बजे सत्यजीत राय सभागार, रविन्द्र नाथ सेन्टर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेसन्स, 9ए, हो ची मिन्ह सरणी, कोलकाता–700071 में, निम्नलिखित व्यवसाय को परिचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

उक्त पर विचार करने और यदि उचित समझा जाएगा, तो निम्नलिखित को एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित किया जाएगा।

"**संकल्प किया गया कि** समय–समय पर संशोधित (विनियम), बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके आगे इसे "**अधिनियम**" के रूप में संदर्भित किया गया), बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1950 (इसके आगे इसे "**बैंकिंग विनियम अधिनियम**" के रूप में संदर्भित किया गया), सेबी (पूंजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (इसके आगे इसे "**सेबी आईसीडीआर विनियम**" के रूप में संदर्भित किया गया), सेबी (कर्तव्य सूची और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (इसके आगे इसे "**सेबी सूचीकरण विनियमन**" के रूप में संदर्भित किया गया) और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 2010 (इसके आगे इसे "**विनियमन**" के रूप में संदर्भित किया गया) के प्रावधान के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक (इसके आगे इसे "**आरबीआई**" के रूप में संदर्भित किया गया), भारत सरकार (इसके आगे इसे "**जीओआई**" के रूप में संदर्भित किया गया), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इसके आगे इसे "**सेबी**" के रूप में संदर्भित किया गया), स्टॉफ एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित तथा उनके द्वारा उक्त अनुमोदन की मंजूरी देते समय उनके द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी तथा उक्त शर्तों और आशोधनों के शर्ताधीन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल सहमत हो (यहां "**बोर्ड**" में शामिल किसी "**समिति**" गठित अथवा इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा गठित की जानी है), और संबंधित अधिनियम, नियम, विनियमन के शर्ताधीन तथा अनुमोदित शर्तों के तहत उक्त संशोधन, पुनरधिनियमन, संशोधन और बैंक के शेयरधारकों की सहमति इसके साथ बोर्ड को दी जाए ताकि नकद रु. 608 करोड़ (रुपए छः सौ आठ करोड़) कुल राशि के लिए सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII के तहत विनियम 76(1) के अनुसरण में निर्धारित भारत के राष्ट्रपति को भारत सरकार की तरफ से प्रीमियम रु. 12.73 (रुपए बारह और तिहत्तर पैसे मात्र) समेत प्रति शेयर रु. 22.73 (रुपये बाइस और तिहत्तर पैसे मात्र) प्रत्येक रुपये 10/- (रुपये दस) अंकित मूल्य के 26,74,87,901 (छब्बीस करोड़ चौहत्तर लाख सत्तासी हजार नौ सौ एक) तक इक्विटी शेयर अधिमान्य आधार पर सृजन, प्रस्ताव, और निर्गत करने के लिए सहमति प्रदान की जाती हैं"

"**पुनः संकल्प किया गया कि** उक्त उद्देश्य के लिए सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII के तहत विनियमन 71(क) के अनुसार अधिमान्य निर्गत दर स्थिर करने के लिए प्रासंगिक तारीख 08 अगस्त, 2016 होगी।"

"**पुनः संकल्प किया गया** कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड स्टॉफ एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अथवा बोर्ड/समिति की सहमति से ऐसा अनुमोदन, सहमति, अनुमति और उक्त निर्गत के लिए स्वीकृति, आवंटन और सूचीकरण के लिए अपनी अनुमति देने/मंजूर करते समय ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वार जैसे लगाया गया, अथवा अपेक्षित उक्त प्रस्ताव में किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने के लिए बोर्ड की शक्ति उसका प्राधिकार होगा।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि** उक्त घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देश के अनुसरण में घोषित यदि कोई है तो, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर *समरूप प्रभार* के वर्ग के होंगे और लाभांश के लिए हकदार होंगे।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि** इस संकल्प को लागू के लिए बोर्ड–समिति उन सभी कृतयों, विलेखों और चीजों को करने के लिए प्राधिकृत है जो उसके स्वविवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे जाएंगे, वह किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह, जो इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, को दूर करने के लिए भी प्राधिकृत है और इसके अलावा, वह सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने और सभी प्रलेखों एवं लिखित पत्रों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है जो आवश्यक, वांछनीय या उचित हो और जो उसके विवेकानुसार उपयुक्त या वांछनीय हो और जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं, या यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त तत्संबंधी अपनी सहमति प्रदान कर दी है अथवा यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त अपनी सहमति प्रदान दी है।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि** बोर्ड/समिति को उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझा जाए, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा बैंक का ऐसा अन्य अधिकारी को एतदद्वारा सौंपे गए सभी अथवा किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया गया।"

बोर्ड के आदेशानुसार
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

तारीख : 09 अगस्त, 2016
स्थान : कोलकाता

टिप्पण :

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62 के अनुसार एक शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है एवं ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

विनियम 62(II) के विनियमन के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् **शुक्रवार, 2 सितम्बर, 2016** को व्यवसाय समय के समापन से पहले बैंक के पास, शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, हेमन्त बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता 700001 में पहुंच जाना चाहिए।

उस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा।

यदि प्रतिनिधि प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम 2010 के विनियम 62(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रूप में वोट देने का हक नही होगा जो उस लिखत से संबधित है।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं हो सकेगा

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

विनियम के विनियमन 61 के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उसी अधिकारी का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानों वह बैंक का वैयाक्तिक शेयरधारक हो।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एकव्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61(II) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उसके विधिवत प्राधिकृत के रूप में बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता–7000001 में शुक्रवार, 2 सितम्बर, 2016 को कारोबार अवधि की समाप्ति अथवा उससे चार दिन पहले जमा न की गई हो।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु वार्षिक रिपोर्ट में उपस्थित पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए हए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति सह प्रवेश पत्र पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए।

4. शेयरधारकों की पूछताछ

यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न को पर्याप्त रहते भेज दें तो बैंक को इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी। पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है–

वरिष्ठ प्रबंधक, शेयर विभाग व निवेशक शिकायत कक्ष, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्याल, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता– 700001 **अथवा ई–मेल करें** **investors@unitedbank.co.in**	लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा) लि. (यूनिट: युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) 59सी, चौरंगी रोड कोलकाता – 700020 **अथवा ई–मेल करे** **kolkata@linkintime.co.in**

5. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक के अपने किसी भी शेयर के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा।

6. ई–मतदान

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियन 44 के अनुसार दिनांक **9 अगस्त, 2016** को बैंक की असाधारण आम बैठक की सूचना के अनुसार बैंक ने पहली बार अपने सभी शेयरधारकों के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीटीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान करने के लिए सूचीबद्धता करार के खण्ड 35बी के अनुसार ई–मतदान की सुविधा प्रदान की है। बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रामनियम एवं कंपनी., सेवारत कंपनी सचिव को निष्पक्ष और तरीके से ई वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किया है।

ई–मतदान वैकल्पिक है। ई–मतदान के अतिरिक्त शेयरधारकों को बैलेट अथवा पोलिंग पेयर के माध्यम से बैठक के स्थान पर मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान किया है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

शेयरधारकों–लाभदायक स्वामी को उनके द्वारा **बुधवार, 31 अगस्त, 2016** (निर्धारित तारीख) तक धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में स्वीकार किया जाएगा।

मतदान की अवधि रविवार, 4 सितम्बर, 2016 को आईएसटी प्रात: 10.00 (आईएसटी) बजे आरम्भ होकर मंगलवार, 6 सितम्बर, 2016 को सांय 5 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जो शेयर भौतिक रूप में या डीमैट फॉर्म में रखे हो जिसकी निर्दिष्ट सीमा (रिकार्ड तारीख) 27 फरवरी, 2015 तक है, वे इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने वोट डाल सकते हैं। ई–वोटिंग मॉड्यूल उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक ई–मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगइन करें।

(i) "**शेयरहोल्डर्स**" टैब पर क्लिक करें।

(ii) अपना **यूजर आईडी** दर्ज करें

क. सीडीएसएल के लिए : **16 अंकों का बेनिफीसरी आईडी**

ख. एनएसडीएल के लिए : **8 अंकों के क्लाईंट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी**

ग. भौतिक रूप में शेयर धारण किए हुए सदस्य बैंक के साथ पंजीकृत फोलियों नं. दर्ज करें

(iii) अब प्रदर्शित हुए **इमेज भेरीफिकेशन** को दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

यदि आप डीमैट के रूप में शेयर धारण करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया था और इससे पहले किसी भी कंपनी की हाल ही के वोटिंग में मतदान किया है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

(iv) यदि आप प्रथम उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें:

	डीमैट रूप में एवं भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पेन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमोरिक **पैन** की प्रविष्टि करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ भौतिक रूप में शेयरधारकों दोनों के लिए लागू • जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपोडिटरी पार्टिसिपेन्ट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने **नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें**।
	• **क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में 0 के लागू नम्बर को संख्या के पहले बड़े अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद दर्ज करें**। अर्थात यदि आपका नाम क्रम संख्या। के साथ रमेश कुमार है तो पैन फिल्ड में आरए 00000001 प्रविष्ट करें।
जन्म तिथि	**आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि** या फोलियो संख्या **दिन/माह/वर्ष** की प्रविष्टि करें।
लाभांश बैंक विवरण	**आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए बैंक रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश** बैंक विवरण या फोलियो की प्रविष्टि करें। • **लॉगिन करने के लिए जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण** की प्रविष्टि करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, कृपया अपनी सदस्यता आईडी–फोलियो सं. दिशानिर्देश (ii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में प्रविष्टि करें।

(v) उचित रूप से इन ब्योरों को भरने के बाद "**सबमिट**" टैब पर क्लिक करें।

(vi) इसके बाद, भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड क्रियेसन मेन्यु तक पहुंच जाएंगें जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप में नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं जिसपर किसी भी अन्य कंपनी का संकल्प (ओं) के लिए मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई–मतदन के विकल्प प्रदान करता हो। यह दृढता से सिफारिश की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड की हिस्सदारी नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत देखभाल करें।

(vii) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई–मतदान के लिए किया जा सकता है।

(viii) **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** के लिए **ईवीएसएन** पर क्लिक करें, जिसे आप वोट करने के लिए चुनते हैं।

(ix) मतदान पृष्ठ पर, आप "**रिजोल्यूसन विवरण**" देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए "**हाँ/नहीं**" विकल्प होगा। विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ रिजोल्यूसन पर आप की सहमति का तात्पर्य है और विकल्प नहीं रिजोल्यूसन पर आप की असहमति का तात्पर्य है।

(x) यदि आप पूरे रिजोल्यूसन ब्योरा देखना चाहते हैं तो "**रिजोल्यूसन फाइल लिंक**" पर क्लिक करें।

(xi) रिजोल्यूसन चयन करने के बाद, आप वोट करने का फैसला किया है, "**सबमिट**" पर क्लिक करें। एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहत हैं, तो "**ओके**" पर क्लिक करे और अपने वोट को बदलने के लिए, "**कैंसल**" पर क्लिक करें और उसके अनुसार वोट को संशोधित करें।

(xii) रिजोल्यूसन पर एक बार आप अपना वोट "**कॉनर्फम**" कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiii) वोटिंग पृष्ठ को "**क्लिक हियर टू प्रिंट**" विकल्प पर क्लिक करके, आप द्वारा किया गया मतदान का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं।

(iv) यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गए हो तो वे यूजर आईडी दर्ज करें और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और फोर्गेट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं प्रणाली द्वारा प्रेरित विवरण दर्ज करें।

(xv) **संस्थागत शेयरधारकों के लिए नोट**

संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात्-व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) https://www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और कॉर्पोरेट के रूप में खुद को पंजीकृत करें।

इकाई द्वारा अपनी मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल किया जाना चाहिए।

लॉगइन ब्योरा प्राप्त होने के बाद वे प्रशासनिक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाएंगे। कंप्लायंस उपयोगकर्ता से खाता (ओं) को लिंक सक्षम हो जाएगा, जिसपर वे वोट देना चाहते हैं।

खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com मेल पर भेज दिया जाएगा और खातों के अनुमोदन पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।

अभिरक्षक के पक्ष में जारी किए गए की बोर्ड संकल्प और पॉवर अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो तो इसे प्रणाली में सत्यापित करने के लिए पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

यदि आपको या ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या मुद्दा हो तो आप सामान्यत: पूछे जाने वाले सवाल (एफ ए क्यू) पर और ई-वोटिंग मैनुअल www.evotingindia.com के हेल्पडेस्क पर उपलब्ध है या इसे प्राप्त करने के लिए evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें।

7. **ईजीएम स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया :** कार्यसूची के मद पर मतदान, ई-मतदान के साथ-साथ मतदान द्वारा किया जाएगा। जिन्होंने ई-मतदान विकल्प का प्रयोग नहीं किया वे बैठक की तारीख को ईजीएम के स्थान पर परिचालित किए जानेवाले मतदान में मतदान देने के हकदार होंगे।

8. **ई-मतदान एवं मतदान का परिणाम :** बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर ई-मतदान तथा मतदान का समेकित परिणाम घोषित किया जाएगा। इसे बैंक की वेबसाईट, सीडीएसएल में दिया जाएगा और जिस स्टॉफ एक्सचेंज में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उसे सूचित किया जाएगा।

9. **मतदान में संवीक्षक :** बैठक में परिचालित किए जानेवाले मतदान में कार्यसूची की मदों के संबंध में मेसर्स एस एन अनंत सुबंरमणियन एण्ड को. प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवगण संवीक्षक के रूप में काम करेंगे।

10. **सभी तथ्यों को स्थापित करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण :**

इश्यू की पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

बैंक बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों के कारोबार में है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी 3000 करोड़ रुपए है। 30 जून, 2016 तक बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु. 1071.96 करोड़ रुपए है।

भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. एफ. 7/38/2014-बीओए दिनांक 19 जुलाई, 2016 के अनुमोदन से सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 यथा संशोधित के अध्याय VII के तहत कुल राशि रु. 608 करोड़ तक अधिमान्य आवंटन द्वारा भारत सरकार की तरफ से भारत के राष्ट्रपति को, प्रीमियम समेत प्रति शेयर रु. 22.73 दर में 26,74,87,901 तक इक्विटी शेयर जारी करने और आंवटन करने के लिए बैंक प्रस्ताव करता है। वित्त मंत्रालय ने अपने परिपत्र संख्या एफ.सं.7/38/2014-बीओए दिनांक 19, जुलाई 2016 के द्वारा समग्र अनुमानों और जोखिम भारित परिसंपत्तियों (आर डब्ल्यू ए) के परिणामी विकास के आधार पर बैंक के पिछले 5 वर्षो की ऋण वृद्धि और सीएजीआर से ऋण वृद्धि पूंजी पर्याप्तता की समीक्षा और मूल्यांकन के बाद केंद्र सरकार के पक्ष में इक्विटी के तरजीही आवंटन के जरिए बैंक को रु. 810 करोड़ दिया है। इसके अलावा, 75% राशि अर्थात रु. 608 करोड़ को अविलंब प्रदान करने के लिए चिह्नित किया गया है, जबकि 25% राशि का आवंटन बैंक के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित बेंचमार्क गतिविधियों के तहत दिसम्बर, 2016 या उसके पहले किया आएगा।

वर्ष 2015-16 में बैंक ने अग्रिम में 3.39% की वृद्धि, जमा में (6.97%) की वृद्धि और कुल व्यवसाय में (5.58%) की वृद्धि की है। बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही की मुख्य वित्तीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

(सभी राशि करोड़ में/आईएनआर)	2015-16 (लेखा परीक्षित)	जून 30, 2016 (गैर-लेखा परीक्षित)
परिचालन लाभ	1812	430.24
शुद्ध लाभ	(282)	38.32
जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ	73079.45	75234.79
आम इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी	5659.73	5691.21
टियर 1 पूंजी	5797	5628
टियर 2 पूंजी	1572	1614
कुल पूंजी	7369	7442
सीईटी 1 अनुपात (%)	7.74%	7.56%
टियर 1 अनुपात (%)	7.93%	7.75%
टियर 2 अनुपात (%)	2.15%	2.14%
सीआरएआर (%)	10.08%	9.89%

ग) बेसल III पूंजी विनियमन पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक को मार्च 2017 तक निम्न पूंजी अनुपात बनाए रखना होगा।

क्रम सं.	अनुपात	न्यूनतम अपेक्षा
1.	आम इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	5.50%
2.	पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)	1.25%
3.	सीईटी 1 + सीसीबी	6.75%
4.	टियर 1 अनुपात	7.00%
5.	टियर 1 अनुपात + सीसीबी	8.25%
6.	कुल सीआरएआर	9.00%
7.	कुल सीआरएआर + सीसीबी	10.25%

टिप्पणी:

- 7.00% की न्यूनतम टियर 1 के अनुपात के भीतर, एटी 1 अनुपात अधिकतम 1.50% होना चाहिए और 9% की न्यूनतम सीआरएआर के भीतर, टियर 2 अनुपात अधिकतम 2.0% होना चाहिए।
- तथापि, यदि बैंक न्यूनतम सीईटी। और टियर-1 पूंजी अनुपात का अनुपालन करता है, तो अतिरिक्त अपर टियर-1 (एटी 1) और टियर 2 पूंजी को सीआरएआर की गणना के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- बैंक को आरडब्ल्यूए की 2.50% पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) का सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी के रुप में बनाए रखना आवश्यक है जो 31 मार्च, 2016 से 2.50% का 25% प्रति वर्ष लागू किया गया।

वित्त वर्ष 2016-17 में बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की गई व्यापार योजना के तहत मार्च 2017 तक जोखिम भारित परिसंपत्तियों की सीमा रु. 79000 करोड़ तक पहुंचने की आशा की जाती है जिससे रु. 1000 करोड़ अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। बैंक के अनुरोध पर, भारत सरकार ने बैंक के लिए रु. 810 करोड़ की पूंजी प्रदान करने का निर्णय लिया है। उक्त पूंजी निवेश और अन्य पूंजी जुटाने के विकल्प के साथ बैंक मार्च 2017 तक बेसल-III के नियमों के तहत सभी आवश्यक पूंजी अनुपात के रखरखाव करने की स्थिति में है।

11. **प्रतिभूतियों का लॉक-इन :** सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 78 (6) के अनुसार केन्द्र सरकार का सम्पूर्ण प्री-इश्यू होल्डिंग्स, संबंधित तारीख से शुरु होकर, ट्रेडिंग अनुमोदन प्राप्ति की तारीख से छः महीने की अवधि तक लॉक-इन रहेगा। फिर विनिमय 78 (1) के अनुसार भारत सरकार को आवंटित नए शेयर, सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 78 (1) के अनुसरण में भी लॉक-इन रहेगा, बशर्ते कि बैंक की प्रदत्त पूंजी का अधिकतम 20%, व्यापार अनुमोदन की तारीख से 3 वर्षो के लिए लॉक्ड-इन किया जाएगा और ऊपर उल्लिखित 20% के अलावा आवंटित किए गए नए शेयरों को व्यापार अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष के लिए लॉक्ड-इन किया जाएगा।

12. प्रस्तावित विशेष संकल्प, यदि पारित हो जाता है, बैंक के निर्देशक मंडल को उपर्युक्त अधिमान्य आवंटन करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

 उक्त शेयर भारत सरकार की तरफ से भारत के राष्ट्रपति को नकद द्वारा आवंटित किया जाएगा। इससे बैंक को आम इक्विटी टियर 1 पूंजी तथा समग्र पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

13. **निर्गम मूल्य :** सेबी आइसीडीआर विनियम के वितियमन 76 के अनुसार केंद्रीय सरकार को आवंटित किये जाने वाले शेयरों का निर्गम मूल्य स्थिर किया गया है। 08 अगस्त, 2016 को प्रासंगिक तारीख के रुप में ध्यान में रखते हुए प्रीमियम सहित निर्गम मूल्य प्रति इक्विटी शेयर रु. 22.73 निर्धारित किया गया है।

14. **लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र :** मूल्य निर्धारण को प्रमाणित करते हुए सांविधिक केंन्द्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र और उक्त विनियमन की अपेक्षा के अनुसार उक्त निर्गम को वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

15. **शेयरधारिता ढांचा :** अधिमानी निर्गम के पहले और बाद में शेयरधारिता ढाँचा :

क्रम सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले (प्रासंगिक तारीख तक)		अनुमानित निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	आवंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
क.	प्रमोटर होल्डिंग				
	प्रमोटर				
	भारत सरकार	920876130	85.906	1188364031	88.720
ख.	गैर-प्रमोटर होल्डिंग	151085341	14.094	151085341	11.280
	कुल योग	1071961471	100.00	1339449372	100.00

"चूंकि भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक के 5% से अधिक शेयर का अधिग्रहण करेगी, इसलिए बैंक 'सेबी' (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियमन 11 के तहत 'सेबी' के पास भारत सरकार की ओर से एक आवेदन करेगा। यह उक्त 'सेबी' पर्याप्त शेयर अर्जन और अधिग्रहण विनियम के विनियमन 3(2) के अंतर्गत ओपेन ऑफर देने से छूट के लिए किया जाएगा तथा 'सेबी' से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही आवंटन किया जाएगा।"

बैंक में प्रोमोटरों की धारिता 82.003% है अर्थात यह 75% से अधिक है। बैंक ने प्रोमोटरों की धारिता को आगे बढ़ाने के लिए सेबी के अनुमोदन हेतु चर्चा की है। उक्त संबंध में सेबी का अनुमोदन प्रास होना बाकी है।

बैंक को सेबी सूचीकरण विनियमन के विनियम 36 और संशोधित प्रतिभूति संविदा विनियम नियम 1957 के तहत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्तें 25% का रोक है तथा 21.07.2017 तक इसका अनुपालन करना है।

16. बैंक के इक्विटी शेयर छः माह से अधिक के लिए सूचीबद्ध हैं और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(3) और 78(5) का प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

17. भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्तीकृत रुप में है और बैंक द्वारा सूचीकरण विनियमन में निर्धारित इक्विटी शेयरों के क्रमागत सूचीकरण की शर्तों का पालन किया जा रहा है।

18. केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध तारीख से पहले छः माह के दौरान बैंक के किसी इक्विटी शेयर को बेचा नहीं गया है।

19. सेबी सूचीकरण विनियमन, 2009 के विनियम 41(4) और सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के अध्याय VII के तहत अपेक्षित बैंक ने अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गमन के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा है।

20. सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधान के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्य की पुर्नगणना के लिए, जहां अपेक्षित है, बैंक वचन देता है।

21. बैंक वचन देता हैं कि यदि उक्त विनियमन में निर्धारित समय के भीतर पुनः गणना किए गए मूल्य का भुगतान न किये जाने के कारण अगर राशि देय है, आबंटिती द्वारा जबतक उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, निर्दिष्ट प्रतिभूतियां अवरुद्ध रहेगी।

22. उपर्युक्त कारणों से उक्त निर्गम के संबंध में स्थिर करने हेतु बोर्ड को विवेकाधिकार तथा उसे पर्याप्त सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित संकल्पों की अनुशंसा की जाती है। उक्त उद्देश्य के लिए एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना बैंक के लिए जरुरी है। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी अनुमति हेतु अनुरोध है।

23. सभी नियामक मंजूरी की प्राप्ति के शर्ताधीन सेबीआईसीडीआर विनियमन के तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार बैंक द्वारा आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रयास किया जाएगा।

24. निदेशक मंडल द्वारा सूचना में उल्लिखित संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की जाती है।

25. बैंक का कोई भी निदेशक, अपने शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, यदि कोई हो, बैंक में उपर्युक्त संकल्पों मे रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/-
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

दिनांक : 09 अगस्त, 2016, कोलकाता

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 49 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, an Extraordinary General Meeting of the shareholders of United Bank of India will be held on Wednesday, September 7th, 2016, at 10.00 A.M. at Satyajit Roy Auditorium, Rabindra Nath Tagore Centre, Indian Council for Cultural Relations, 9A, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata –700071 to transact the following business.

To consider and if thought fit pass the following as a **Special Resolution**:

"**RESOLVED THAT,** pursuant to the applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "**the Act**"), Banking Regulation Act 1949 (hereinafter referred to as "**Bank Regulation Act**") SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations 2009 (hereinafter referred to as "**SEBI ICDR Regulations"**), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "**SEBI Listing Regulations**"), and United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as "**the Regulations**") and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "**RBI**"), Government of India (hereinafter referred to as "**GoI**"), Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "**SEBI**"), the Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed, and/ or such other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them while granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (here the "**Board**" shall include any "**Committee**" constituted or to be constituted by the Board for the purpose), and subject to such amendments, reenactments, modifications to the relevant Act, Rules, Regulations and approval terms, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors to create, offer, issue and allot up to 26,74,87,901 (Twenty Six Crore Seventy Four Lac Eighty Seven Thousands Nine Hundred and One) equity shares of Face Value of Rs.10/- (Rupees Ten) each to President of India acting on or behalf of the Government of India at Rs. 22.73 (Rupees Twenty Two and Paisa Seventy Three Only) per share including premium of Rs. 12.73 (Rupees Twelve and Paisa Seventy Three Only) per share determined in accordance with Regulation 76(1) under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations aggregating up to Rs.608 crore (Rupees Six Hundred and Eight Crore) for cash on preferential basis;"

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Relevant Date in terms of Regulation 71(a) under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations for the purpose of determination of the Preferential Issue Price is **August 8, 2016."**

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board be and is hereby authorised to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI, RBI, SEBI, Stock Exchanges on which the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of granting their approvals, consents, permissions and sanctions to the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board/Committee."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the said equity shares issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/ Committee be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board/Committee be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may in its absolute discretion deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors
Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

Dated the August 9th, 2016, Kolkata

Notes:

1. **Appointment of Proxy:** Pursuant to Regulation 62 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, a shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself, and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

 In terms of Regulation 62(II) of the Regulations the proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Department & Investor Grievances Cell, Head Office, 11 Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata – 700001 not less than **four days** before the date of the meeting i.e., on or before the closing business hours of **Friday, September 2nd, 2016**.

 The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

 An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

 In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

 The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(vi) of the Regulations shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

 No person shall be appointed a Proxy who is an employee of United Bank of India.

2. **Appointment of Authorised Representative:** Pursuant to Regulation 61 of the Regulations, a shareholder, being the Central Government or Company by resolution, as the case may be may authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he was an individual shareholder of the Bank.

 The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or the Company.

 In terms of Regulation 61(II) of the Regulations, no person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as such certified to be a true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed, is deposited to the Bank at its Share Department & Investor Grievances Cell, Head Office, 11 Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata – 700001 not less than **four days** before the date of the meeting i.e. on or before the closing business hours of **Friday, September 2nd, 2016**.

3. **Attendance Slip-cum-Entry Pass:** For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry-pass is enclosed with this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip-cum-entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. **Shareholder's Queries:** It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to —

Senior Manager, Share Department & Investors Grievance Cell, United Bank of India, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata 700001 **or emailed to** investors@unitedbank.co.in	Link Intime India (P) Ltd. (Unit: United Bank of India) 59C, Chowringhee Road Kolkata - 700020 **or emailed to** kolkata@linkintime.co.in

5. **Voting Rights:** Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

6. **E-Voting:** The Bank is pleased to provide E-voting facility as per Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the Extraordinary General Meeting dated August 9, 2016. The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

 E-voting is optional. In addition to e-voting the shareholders shall have the option of voting through ballot/ voting papers at the venue of the meeting. Shareholders who have cast their votes by electronic means may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their votes.

 The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned in respect of the equity shares held by them as on **Wednesday, August 31st, 2016 (the Cut-off Date)**.

 The voting period shall begin at 10.00 hrs. (IST) on Sunday, September 4th, 2016 and end at 17.00 hrs. (IST) on Tuesday, September 6th, 2016. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

 The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com during the voting period

 (i) Click on **"Shareholders"** tab.

 (ii) Enter your **User ID**

 a. For CDSL: **16 digit beneficiary ID**,

 b. For NSDL: **8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID**,

 c. Members holding shares in Physical Form should enter **Folio Number registered with the Bank**.

 (iii) Next enter the **Image Verification** as displayed and Click on **Login**.

 If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

 (iv) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric ***PAN** issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) ● Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the **first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field**. ● **In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters**. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the **Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records** for the said demat account or folio in **dd/mm/yyyy** format.
Dividend Bank Details	Enter the **Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records** for the said demat account or folio. ● Please enter the **DOB or Dividend Bank Details in order to login**. If the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (ii).

(v) After entering these details appropriately, click on "**SUBMIT**" tab.

(vi) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(vii) For Member holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(viii) Click on the **EVSN** for **United Bank of India** on which you choose to vote.

(ix) On the voting page, you will see **"RESOLUTION DESCRIPTION"** and against the same the option **"YES/NO"** for voting. Select the option YES or NO as desired. The option **YES** implies that you assent to the Resolution and option **NO** implies that you dissent to the Resolution.

(x) Click on the **"RESOLUTIONS FILE LINK"** if you wish to view the entire Resolution details.

(xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on **"SUBMIT"**. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **"OK"**, else to change your vote, click on **"CANCEL"** and accordingly modify your vote.

(xii) Once you **"CONFIRM"** your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiii) You can also take out print of the voting done by you by clicking on **"Click here to print"** option on the Voting page.

(xiv) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xv) **Note for Institutional Shareholders**

Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to https://www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.

A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

After receiving the login details they have to create a compliance user using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

7. **Voting Process at the EGM Venue:** The voting on the agenda item shall be done by e-voting as well as by Voting. Those who do not exercise the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the Voting to be conducted at the venue of the EGM on the date of the meeting.

8. **Results of the E-voting & Voting:** The consolidated results of e-Voting and Voting shall be announced within 48 hours of the conclusion of the meeting by hosting the same on the website of the Bank, CDSL and disseminating the same to Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed.

9. **Scrutinizer at the Voting**: M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of the agenda items at the Voting to be conducted at the Meeting.

10. **Explanatory Statement Setting Out Material Facts**:

Background and Object of the Issue:

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.3000 Crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on June 30th, 2016 was Rs.1071.96 Crore.

The Bank, with approval from the Govt. of India vide their letter F.No.7/38/2014-BOA dated July 19, 2016 proposes to issue and allot up to 26,74,87,901 equity shares at a price of Rs. 22.73 per share including premium to the President of India, acting on behalf of the Government of India by Preferential Allotment aggregating up to Rs.608 crore under Chapter VII of the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations 2009 as amended.

Ministry of Finance after assessment and review of the Bank's capital adequacy in the light of the projections for credit growth by the Bank and CAGR of credit growth of the Bank for last 5 years and based on overall projections and consequential growth of Risk Weighted Assets (RWA) and other financials, vide its letter F.No.7/38/2014-BOA dated July 19, 2016 allocated Rs.810cr. to the Bank by way of preferential allotment of equity in favour of the Central Government. Further, 75% of the amount, i.e. Rs.608cr. has been marked for immediate infusion while the balance 25% will be infused based on Bank's performance on prescribed benchmark activities by the end of December 2016 or earlier.

In 2015-16, the Bank has reported 3.39% growth in advances, 6.97% growth in deposits and 5.58% growth in total business. The financial highlights of the FY – 2015-16 and the first quarter of FY – 2016-17 as reported by the Bank are as under —

(All amt. in INR in Cr.)	2015-16 (Audited)	June 30, 2016 (Unaudited)
Operating Profit	1812	430.24
Net Profit	(282)	38.32
Risk Weighted Assets	73079.45	75234.79
Common Equity Tier 1 (CET1) Capital	5659.73	5691.21
Tier 1 Capital	5797	5828
Tier 2 Capital	1572	1614
Total Capital	7369	7442
CET1 Ratio (%)	7.74%	7.56%
Tier 1 Ratio (%)	7.93%	7.75%
Tier 2 Ratio (%)	2.15%	2.14%
CRAR (%)	10.08%	9.89%

As per RBI guidelines on Basel-III Capital regulations, the Bank is required to maintain the following capital ratios by March 2017-

Srl.	Ratio	Min. Requirement
1.	Common Equity Tier 1 (CET1)	5.50%
2.	Capital Conservation Buffer (CCB)	1.25%
3.	CET1 + CCB	6.75%
4.	Tier 1 Ratio	7.00%
5.	Tier 1 Ratio + CCB	8.25%
6.	Total CRAR	9.00%
7.	Total CRAR + CCB	10.25%

Notes:

- *Within the minimum Tier 1 ratio of 7.00%, AT1 ratio should be maximum* 1.50% *and within the minimum CRAR of 9.00%, Tier 2 ratio should be maximum 2.00%.*
- *If the bank complies with the minimum CET1 and Tier 1 capital ratios, then the excess Additional Tier-1 (AT1) and Tier 2 capital can be admitted for computation of CRAR.*
- *Bank is also required to maintain a Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% of RWAs in the form of Common Equity Tier 1 Capital implemented from March 31, 2016 at 25% of 2.5% per year.*

As per the Bank's projected business plan for FY 2016-17 submitted to the Ministry of Finance, the risk weighted assets are expected to go up to the range of Rs.79000 crore by March 2017 which would entail an additional capital requirement of about Rs.1000 crore. At Bank's request, the Government of India has kindly conveyed its decision to infuse Rs.810 crore capital in the Bank. With said capital infusion and other capital raising options at the Bank's disposal, the Bank will be in a position to maintain all the required capital ratios under Basel-III norms by March 2017.

11. **Lock-in of Securities**: In accordance with the Regulation 78(6) of SEBI ICDR Regulations, the entire pre-issue holding of the Central Government shall be locked-in from the Relevant Date up to 6 months from the date of the receipt of trading approval. In terms of Regulation 78(1), the fresh shares allotted to Government of India, subject to a maximum of 20% of the paid-up capital of the Bank shall be locked-in for 3 years from the date of trading approval and fresh shares allotted beyond the aforementioned 20% shall be locked-in for 1 year from the date of trading approval.

12. The proposed Special Resolution, if passed, shall authorize the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential allotment.

 The shares will be allotted to the President of India acting on behalf of the Central Government for cash, which will enable the Bank to shore up its Common Equity, Tier – I capital and overall capital adequacy.

13. **Issue Price**: The price of shares to be allotted has been determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations. Considering August 8, 2016 as the Relevant Date, the Issue Price including premium is fixed at Rs. 22.73 per equity share.

14. **Auditors**' **Certificate**: The Certificate issued by the Statutory Central Auditor(s) certifying the pricing and that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Annual General Meeting.

15. **Shareholding Pattern**: Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on Relevant Date)		After the issue (Estimated)	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares to be allotted	Percentage of shareholding
A.	**Promoter's Holding**				
	Promoters				
	Government of India	920876130	85.906	1188364031	88.720
B.	**Non –Promoter Holding**	151085341	14.094	151085341	11.280
	Grand Total	1071961471	100.00	1339449372	100.00

As the Government of India would be acquiring more than 5% shares in the Bank in FY 2016-17, the Bank would be making an application on behalf of the Government of India to SEBI under Regulation 11 of SEBI (Substantial Acquision of Shares and Takeover) Regulations. 2011 for exemption from making open offer under Regulation 3(2) of the said SEBI SAST Regulations, and the allotment would be made only after the receipt of approval from SEBI.

The Promoters' holding in the Bank is already at 82.003% i.e. beyond 75%. The Bank has approached SEBI for its approval to the proposed further increase in promoters' holding. Approval of SEBI on the matter is awaited.

The Bank is seized of minimum public shareholding criteria of 25% under Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the amended Securities Contract Regulation Rules 1957 and undertakes to comply with the same by August 21, 2017.

16. The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

17. All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Regulations.

18. The Central Government has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

19. As required under Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations and Chapter VII of SEBI ICDR Regulations, 2009, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

20. The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do.

21. The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

22. For reasons aforesaid, the enabling resolutions are therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

23. The Bank will endeavour to complete the allotment process according to the timeline prescribed under SEBI ICDR Regulations subject to receipt of all regulatory clearances.

24. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

25. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

Dated August 9th, 2016, Kolkata

BOOK-POST / बुक पोस्ट

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते पर लौटाएँ :

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट : **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया**

59-सी, चौरंगी रोड, कोलकाता-700020

If undelivered please return to :

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

Unit: **United Bank of India**

59C, Chowringhee Road, Kolkata – 700020

BNPL-CCU-001-281

BNPL-CCU-001-281

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय/Head Office : 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700001/11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001.

बुधवार, 7 सितम्बर, 2016/ Wednesday, 7th September 2016. समय: पूर्वाह्न 10.00 बजे/ Time : 10.00 a.m.	असाधारण आम बैठक/ Extraordinary General Meeting	सत्यजीत राय सभागार, रवीन्द्र नाथ टैगोर सेन्टर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेसन्स, 9ए, हो ची मिन्ह सरणी, कोलकाता–700071 / Satyajit Roy Auditorium, Rabindra Nath Tagore Centre, Indian Council for Cultural Relations, 9A, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata-700071

ईवीएसएन/EVSN	यूज़र आईडी/User ID	सीक्वेंस सं/Sequence No.	दिन/माह/वर्ष में डिफल्ट जन्मतिथि (जहां जन्मतिथि पंजीकृत नहीं है)/Default DOB in dd/mm/yy (Where DOB not registered)
160801001			लाभांश बैंक ब्योरा/Dividend Bank Details

ई–मतदान रविवार, 4 सितम्बर 2016 को 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा/ Evoting begins on Sunday, September 4th, 2016 at 10.00 hrs. (IST)	ई–मतदान मंगलवार, 6 सितम्बर 2016 को 17.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा/ Evoting ends on Tuesday, September 6th, 2016 at 17.00 hrs. (IST)

ई–मतदान ब्योरा के लिए ईजीम नोटिस की बिन्दु सं 6 देखें / Please refer to point no. 6 in the EGM Notice for details on e-voting.

प्रवेश पत्र /ENTRY PASS

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/ Signature of the Shareholder/Proxy/Representative			
रजिस्टर. फोलियो नंबर **Regd. Folio**		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी/**DP ID & Client ID**	
शेयरधारक का नाम/Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या/Number of Shares			

शेयरधारक/प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैंक स्थल पर प्रवेश करने के लिए वे उपरोक्त उपस्थित पर्ची, बैंक में अभिलिखित अपने नमूना हस्ताक्षर सहित, प्रवेश –पत्र के साथ प्रस्तुत करें। फिर भी, आवश्यक होने पर प्रवेश सत्यापन/जांच के अध्याधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में, बैठक में प्रवेश हेतु, बैक द्वारा उपस्थिति पर्ची की डुप्लिकेट प्रति जारी नहीं की जाएगी।

Shareholders/proxy or authorised repressentiative of shareholders are requested to produce the above attendance slip duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/**United Bank of India**

प्रधान कार्यालय/Head Office : 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001/11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001.

उपस्थिति पर्ची/ATTENDANCE SLIP

(बैठक में प्रवेश करते समय इसे जमा किया जाए/To be surrendered at the time of Entry to the Venue)

मैं एतद्द्वारा दिनांक 7 **सितम्बर**, 2016 **पूर्वाह्न** 10.00 **बजे** सत्यजीत राय सभागार, रवीन्द्र नाथ टैगोर सेन्टर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेसन्स, 9ए, हो ची मिन्ह सरणी, कोलकाता–700071 में, आयोजित होनेवाली बैंक की असाधारण आम बैठक में उपस्थिति दर्ज करता हूं।I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank on Wednesday, September 7th, 2016 at 10.00 a.m. at Satyajit Roy Auditorium, Rabindra Nath Tagore Centre, Indian Council for Cultural Relations, 9A, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata-700 071.

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/ Signature of the Shareholder/Proxy/Representative			
Regd. Folio/ रजिस्टर. फोलियो नंबर		**DP ID & Client ID/** डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
शेयरधारक का नाम/Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या/Number of Shares			

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय /Head Office: 11, **हेमंत बसु सरणी, कोलकाता** – 700001/11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001

प्रॉक्सी फार्म (फार्म-बी)/PROXY FORM (FORM 'B')

(शेयरधारक द्वारा भरा जाना और हस्ताक्षरित किया जाना है/ To be filled in and signed by the Shareholder)

पंजीकृत फोलियो/ डीपी आइडी एवं क्लाइंट आईडी / Regd. Folio/ DP ID/ Client ID	

मैं/हम/I/We निवासी/resident(s) of जिला/ in the district of राज्य/ in the state of युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का/के शेयरधारक होने की हैसियत से एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/being a shareholder/ shareholder(s) of United Bank of India, Kolkata hereby appoint Shri/Smt. निवासी/resident of जिला/in the district of राज्य/ in the state of या उनके नहीं आने पर श्री/श्रीमती/ or failing him/her, Shri/Smt. निवासी/resident of जिला/ in the district of राज्य/in the state of को अपने/हमारे प्रतिनिधि के रुप में दिनांक 7 सितम्बर 2016, बुधवार को पूर्वाह्न 10.00 बजे सत्यजीत राय सभागार, रवीन्द्र नाथ टैगोर सेन्टर, इंडियन काउंसिल फॉर क्लचरल रिलेसन्स, 9ए, हो ची मिन्ह सरणी, कोलकाता -700071 एवं किसी स्थगन की स्थिति में, बैंक के शेयरधारकों की होनेवाली असाधारण आम बैठक में मेरे/ हमारे बदले मतदान देने हेतु नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं।/as my / our proxy to vote for me/ us and on my/ our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of United Bank of India to be held on Wednesday, September 7th, 2016 at 10.00 a.m. at Satyajit Roy Auditorium, Rabindra Nath Tagore Centre, Indian Council for Cultural Relations, 9A, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata-700071 and at any adjournment thereof.

दिनांक2016 को इस पर हस्ताक्षर किया/ Signed this day of 2016.

रसीदी टिकट
चिपकाएं
Please Affix
Revenue Stamp

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर/ Signature of Proxy

नाम/Name :

पता/Address

नामित/एकमात्र शेयरधारक का हस्ताक्षर /Signature of First named/ Sole Shareholder

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश/**INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM**

1. कोई भी लिखत प्रॉक्सी तभी मान्य होगा जब-
 क) एक व्यक्ति के शेयरधारक के मामले में, उसके द्वारा हस्ताक्षरित/उसे या उसकी/उसके वकील द्वारा लेखन में विधिवत रूप से अधिकृत किया गया हो
 ख) संयुक्त धारकों के मामले में, शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर रजिस्टर में पहले या उसकी/उसके वकील का जो विधिवत लिखित रूप में अधिकृत है,
 ग) एक निगमित निकाय के मामले में विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या एक वकील द्वारा हस्ताक्षर किए गए जो लेखन में विधिवत रूप से अधिकृत है। यह नोट करना कि नियुक्त करने का संकल्प का उल्लेख किसी अधिकृत प्रतिनिधि को किया जाना बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि होने के लिए प्रमाणित एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए / शक्ति के रूप में उसे / संलग्न कर रहा है।

 No instrument of proxy shall be valid unless
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing,
 c) in the case of a body corporate signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that the resolution appointing him/her as a duly authorised representative/power to appoint a proxy, certified to be true copy by the chairman of the meeting is to be attached.
2. प्रॉक्सी का लिखन पर्याप्त रूप से शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित हो यदि जो किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उसकी / उसके द्वारा लगे अंगूठे का निशान एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार आश्वासनों द्वारा या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो।
 An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of United Bank of India.
3. प्रॉक्सी के साथ
 क) पॉवर ऑफ एटॉर्नी या प्राधिकारी (यदि कोई हो) अन्य प्राधिकरण जिसके तहत यह हस्ताक्षर किया गया है, या
 ख) पॉवर ऑफ एटॉर्नी या प्राधिकारी का नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की एक प्रति, शेयर विभाग व निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001 को असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले या 02 सितम्बर, 2016, शुक्रवार को, अपराह्न 05.00 बजे बैंक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले जमा किया जाना चाहिए।

 The proxy together with
 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of United Bank of India with the Share Department & Investors Grievance Cell, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank of Friday, 2nd September 2016 (by 5.00 p.m.).
4. कोई लिखत प्रॉक्सी और प्रपत्र "बी" विनियमन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि इस पर विधिवत मुहर न लगी हो।
 No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulation.
5. बैंक के पास जमा लिखत प्रॉक्सी अविकल्पी और अंतिम होगा।
 An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. दो वैकल्पिक के पक्ष में दी गई लिखत प्रॉक्सी के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
 In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. जो शेयर धारक प्रॉक्सी लिखत को निष्पादित करते हैं वो असाधारण आम बैठक में मतदान देने के हकदार नहीं होंगे।
 The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. किसी भी व्यक्ति को विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एक अधिकारी या एक कर्मचारी हो।
 No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of United Bank of India.